भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 1294

सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)

नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी)

1294. श्री केसिनेनी शिवनाथ:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) द्वारा विकसित अनुरूपता मूल्यांकन कार्यढांचा (सीएएफ) के तहत प्रत्यायित प्रमाणन निकायों (सीबी), निरीक्षण निकायों (आईबी), और कार्मिक प्रमाणन निकायों (पीआरसीबी) आदि की राज्य-वार/वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) साइबर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (सीएसएमएस) के तहत प्रमाणित महत्वपूर्ण क्षेत्र के निकायों (सीएसई) के क्षेत्र-वार वितरण की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्यायित निरीक्षण निकायों द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों की राज्य-वार/वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(घ) सीएसई के साइबर सुरक्षा संबंधी रुख में पहचान किए गए प्रमुख जोखिमों या अंतरालों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) कार्मिक प्रमाणन योजना के तहत प्रमाणित साइबर सुरक्षा पेशेवरों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(च) सीएएफ के तहत आयोजित जागरुकता कार्यक्रमों, कवर किए गए स्थानों और प्रशिक्षित कुल प्रतिभागियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): अनुरूपता मूल्यांकन रूपरेखा (सीएएफ) नवंबर, 2024 में शुरू की गई थी। वर्तमान में भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) ने एक निरीक्षण निकाय, एक प्रमाणन निकाय और एक कार्मिक प्रमाणन निकाय को अनंतिम रूप से मंजूरी दी है।

(ङ) कार्मिक प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत 19 साइबर सुरक्षा पेशेवरों को प्रमाणित किया गया है।

(च) अनुरूपता मूल्यांकन रूपरेखा (सीएएफ) से संबंधित 30 जागरूकता कार्यशालाएं 10 स्थानों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, पुणे और चंडीगढ़) पर आयोजित की गई हैं। इन कार्यशालाओँ में कुल 1046 प्रतिभागियों ने भाग लिया है।

*****